



# कार्यालय जिला नगरीय विकास अभिकरण(डूडा) कलैक्ट्रेट परिसर, जनपद हाथरस

पत्रांक 140 / डूडा-निर्माण/2026-27

दिनांक 12 / 05 / 2026

सम्पादक,  
अमर उजाला, हिन्दुस्तान  
जननद हाथरस।

आपको अवगत कराना है कि अभिकरण में संचालित मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना तथा मूलभूत सुविधायें एवं आवास(एस0सी0एस0पी0) योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की ई-निविदा सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही कि ई-निविदा सूचना का प्रकाशन अपने समाचर पत्र में कम से कम स्थान में नियमानुसार न्यूनतम सरकारी दरों पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तनुसार।

प्रभारी अधिकारी कलैक्ट्रेट/  
परियोजना अधिकारी  
डूडा हाथरस।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक)/  
परियोजना निदेशक  
डूडा हाथरस

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय, डूडा हाथरस को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी कलैक्ट्रेट/  
परियोजना अधिकारी  
डूडा हाथरस।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक)/  
परियोजना निदेशक  
डूडा हाथरस



# कार्यालय जिला नगरीय विकास अभिकरण(डूडा) कलैक्ट्रेट परिसर, जनपद हाथरस

पत्रांक 140 / डूडा-निर्माण / 2026-27

दिनांक 12 / 05 / 2026

## अल्पकालिन ई- निविदा विज्ञप्ति

जिला नगरीय विकास अभिकरण(डूडा) हाथरस द्वारा मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित बस्ती विकास योजना के अन्तर्गत निम्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार ई-टेण्डरिंग की बेवसाइट <https://etender.up.nic.in> के माध्यम से निम्नलिखित टेण्टर शैड्यूल के अनुसार आमंत्रित की जाती है। कार्य का विवरण एवं निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण बेवसाइट <https://etender.up.nic.in> पर दिनांक 13.05.2026 को समय प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 27.05.2026 को समय प्रातः 11.00 बजे तक उपलब्ध होंगे। जहाँ से इसे डाउनलोड किया जा सकता है, धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0/एन0ए0सी0 परियोजना अधिकारी जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) हाथरस के नाम से बन्धक होना अनिवार्य है, जिसकी प्रतिलिपि निविदा के साथ अपलोड करनी होगी। किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा हाथरस में निहित होगा। पात्र श्रेणी से निम्न श्रेणी की निविदा देने पर सम्बन्धित फर्म की निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा। शर्त युक्त निविदा मान्य नहीं होगी।

S.No.	Stage	Contractor/ Vendor Stage	प्रारम्भ दिनांक व समय	अन्तिम दिनांक व समय
1	Tender Release	Tender Download	13.05.2026 11.00 AM	
2		Bid Submission	13.05.2026 11.00 AM	
3	Close of Bid		27.05.2026 11.00 AM	27.05.2026 11.00 AM
4	Technical Bid Open		27.05.2026 04.00 PM	

प्रभारी अधिकारी कलैक्ट्रेट/  
परियोजना अधिकारी  
डूडा हाथरस।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक)/  
परियोजना निदेशक  
डूडा हाथरस



# कार्यालय जिला नगरीय विकास अभिकरण(डूडा) कलैक्ट्रेट परिसर, जनपद हाथरस

पत्रांक 140 / डूडा-निर्माण / 2026-27

दिनांक 12/05/2026

## अल्पकालीन ई-निविदा विज्ञापित

जिला नगरीय विकास अभिकरण(डूडा) हाथरस द्वारा मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित क्रम 01 से 13 तक निर्माण कार्य हेतु ऑनलाइन निविदायें <https://etender.up.nic.in> वर्गीकृत श्रेणी में ठेकेदारों से दिनांक 13.05.2026 को प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 27.05.2026 को प्रातः 11.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। पोर्टल पर निविदा के साथ अग्रिम जमानत DRAFT/FDR की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। निविदा की प्री-क्वालिफिकेशन/टैक्नीकल विड परियोजना निदेशक डूडा हाथरस कार्यालय के कक्ष में गठित समिति के सदस्यों द्वारा 27.05.2026 को अपराह्न 04.00 बजे खोली जायेगी। प्री-क्वालिफिकेशन/टैक्नीकल विड में क्वालीफाइड पाये गये ठेकेदारों की ही फाइनैशियल विड खोली जायेगी। कार्यालय बन्द अथवा अवकाश होने की दशा में यह निविदायें अगले कार्यदिवस में उसी समय खोली जायेगी।

निविदा दिनांक 13.05.2026 को प्रातः 11.00 बजे से 27.05.2026 को प्रातः 11.00 बजे तक पोर्टल पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है। कार्यों का नाम तथा अन्य नियम व शर्तों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	टेण्डर हेतु कार्य की धनराशि (रु० लाख में)	धरोहर राशि (रु० लाख में)	कार्य अवधि	निविदा फार्म शुल्क, स्टेशनरी चार्ज, जी०एस०टी० सहित(रु०)	ठेकेदार की पंजीकरण श्रेणी
01	वार्ड नं०-17 टाप रोड से पुष्पा देवी के घर तक लिंक गली सहित नाली एवं सी०सी० इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	7.97	0.79	90 दिन	944.00	C
02	वार्ड नं०-24 नयावांस(तरफरा) में राकेश के घर से महेन्द्र के घर तक नाली एवं सी०सी० इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	8.43	0.84	90 दिन	944.00	C
03	वार्ड नं०-24 नयावांस(तरफरा) में अन्तराम के घर से सुचित्रा के घर तक नाली एवं सी०सी० इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	5.39	0.53	90 दिन	944.00	C
04	वार्ड नं०-25 में देवेन्द्र के घर से नेम सिंह के घर तक नाली एवं सी०सी० निर्माण कार्य	4.71	0.47	90 दिन	944.00	C
05	वार्ड नं०-26 नगला चौबे में भानू गुरु के घर से राजकुमार के घर तक नाली एवं सी०सी० इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	8.07	0.80	90 दिन	2400.00	C
06	वार्ड नं०-नगला चौबे में दाऊदयाल के घर से मोरमुकुट के घर तक नाली एवं सी०सी० इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	6.48	0.64	90 दिन	944.00	C
07	वार्ड नं०-27 खंदारी गढी में भोलाशंकर के घर से अशोक कुमार के घर तक नाली एवं सी०सी० इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	2.18	0.21	90 दिन	944.00	C
08	वार्ड नं०-27 खंदारी गढी में राजेन्द्र के घर से सामने से प्रेमपाल के घर तक नाली एवं सी०सी० इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	3.78	0.37	90 दिन	944.00	C
09	वार्ड नं०-27 खंदारी गढी में बाँबी के मकान से रामबाबू के मकान तक नाली एवं सी०सी० निर्माण कार्य	4.91	0.49	90 दिन	944.00	C

**प्रमोद मिश्र**  
सू. हाथरस

परियोजना अधिकारी 9  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-हाथरस

**अपर जिलाधिकारी/परियोजना निदेशक**  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-हाथरस

10	वार्ड नं0-27 खंदारी गढी में नागेन्द्र के घर से रेखा देवी के घर तक नाली एवं सी0सी0 इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	5.68	0.56	90 दिन	944.00	C
11	वार्ड नं0-27 खंदारी गढी में मुकेश के घर के सामने से बैनीराम के घर तक नाली एवं सी0सी0 इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	3.06	0.36	90 दिन	944.00	C
12	वार्ड नं0-34 में भूरा नगला रोड से ललित के मकान तक एवं लिंक गली सहित नाली एवं सी0सी0 इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	7.97	0.79	90 दिन	944.00	C
13	वार्ड नं0-34 में महोदवी के घर से शिव सिंह के घर तक नाली एवं सी0सी0 इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	8.01	0.80	90 दिन	944.00	C

उपरोक्त कार्यों की निविदाताओं हेतु नियम व शर्तें निम्नवत् हैं:-

1. निविदा प्रपत्र की धनराशि परियोजना अधिकारी, डूडा हाथरस के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा किये जाने पर डिमाण्ड ड्राफ्ट को स्कैन कर अपलोड करना होगा, समस्त दस्तावेज एवं धरोहर धनराशि की मूल कॉपी के दिनांक 26.05.2026 को प्रातः 11.00 बजे तक कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। बिना मूल कॉपी के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा मूल्य की जमा धनराशि किसी भी दशा में वापिस नहीं की जायेगी।
2. प्रत्येक निविदा हेतु उनके सम्मुख अंकित पृथक-पृथक धरोहर धनराशि इलैक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर से अथवा शेड्यूल राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० जो कि परियोजना अधिकारी डूडा, हाथरस के नाम बन्धक होगी, जिसकी स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। अपलोड न होने की दशा में निविदा स्वयं निरस्त समझी जायेगी।
3. निविदा के साथ ठेकेदार को वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त मानी जायेगी।
4. शासनादेश सं० 419/2019/1264/69-1-2019-14(34)/2019 दिनांक 05.11.2019 के क्रम में डूडा में पंजीकृत ठेकेदार के निविदादाता को जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) हाथरस में सूडा मुख्यालय के पत्र सं० 1919/10/छः/ई-टेण्डरिंग/निर्माण/2017-18 दिनांक 22.08.2017 के अनुसार ठेकेदारों के पंजीकरण ठेकेदारों के पंजीकरण विषयक पात्रता के लिये दी गयी शर्तों के अनुरूप डूडा हाथरस में पंजीकरण कराना होगा तथा पात्रता की श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट/ई-बैंकिंग के माध्यम से जमा कराना होगा। पात्र श्रेणी के अनुसार हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति तथा विगत वर्षों(2023-24, 2024-25, 2025-26) के अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ स्कैन करने अनिवार्य रहेंगे।


विभाग में पंजीकरण की पात्रता का विवरण निम्नानुसार है:-

श्रेणी	आवश्यक हैसियत प्रमाण पत्र	कार्य अनुभव	कार्य वर्गीकरण	कम से कम तकनीकी स्टाफ	पंजीकरण शुल्क दो वित्तीय वर्षों हेतु
ए	50 लाख	पिछले तीन वर्षों में कम से कम दो करोड से अधिक लागत के कार्य सफलतापूर्वक सम्पादित	किसी भी राशि तक के कार्य	सिविल/विद्युत कार्य हेतु सम्बन्धित ट्रेड में स्नातक अभियन्ता/डिप्लोमाधारीअभि०/ठेकेदार/फर्म को नियुक्त करना होगा।	60000.00
बी	30 लाख	पिछले तीन वर्षों में कम से कम 75 लाख से अधिक लागत के कार्य सफलतापूर्वक सम्पादित	20 लाख तक के कार्य	सिविल/विद्युत कार्य हेतु डिप्लोमाधारी अभि०/ ठेकेदार/फर्म को नियुक्त करना होगा।	40000.00
सी	20 लाख	पिछले तीन वर्षों में कम से कम 25 लाख से अधिक लागत के कार्य सफलतापूर्वक सम्पादित	15 लाख तक के कार्य	श्रेणी सी हेतु तकनीकी स्टाफ की अनिवार्यता नहीं होगी, परन्तु कार्य देते समय ऐसे पंजीकृत ठेकेदारों को दरें समान होने पर वरीयता दी जायेगी, जिसके पास पूर्ण कालिक तकनीकी डिप्लोमाधारी नियुक्त हो।	20000.00

5. स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र रू० 100/- के स्टाम्प पर।



परियोजना अधिकारी  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-हाथरस

 प्रपर जिलाधिकारी/परियोजना निदेशक  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-हाथरस

6. निविदादाता की फर्म एव फर्म में कार्यरत लेबर का पंजीकरण श्रम आयुक्त विभाग में होना अनिवार्य है, इस सम्बन्ध में साक्ष्य स्केन व अपलोड करने होंगे। लेबर सेस की कटौती 1 प्रतिशत की दर से ठेकेदार के देयकों से की जायेगी।
7. पात्र श्रेणी से अधिक श्रेणी की निविदाये देने व एफ0डी0आर0/एन0ए0सी0 की फर्जी छायाप्रति पाये जाने पर निविदा मान्य नहीं होगी।
8. शर्त युक्त निविदा मान्य नहीं होगी।
9. उपरोक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री की परीक्षण परिणाम (टेस्टिंग रिपोर्ट) मानक के अनुरूप आने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।
10. शासनादेश सं० 622/23-2012-2/ऑडिट/08 टी०सी०-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार निविदा में 10 प्रतिशत तक कम दरें डाले जाने पर प्रति एक प्रतिशत कम दर पर आधा प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दरों पर प्रत्येक प्रतिशत कम दर के लिये 1 प्रतिशत परफॉर्मेन्स गारन्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरान्त ही अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
11. निविदादाता द्वारा निविदा में दी गई दरें जी०एस०टी० रहित ही मान्य होंगी। जी०एस०टी० नियमानुसार प्रथक से देय होगी।
12. किसी भी विवाद की स्थिति में जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा हाथरस का आदेश मान्य होगा तथा न्यायक्षेत्र हाथरस का होगा।
13. उक्त के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेश मान्य होंगे तथा किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु कार्यालय में सम्पर्क करें।
14. निविदादाताओं को ई-निविदा करते समय बैंक में निविदा शुल्क जमा की रसीद/डी०डी०, धरोहर राशि, हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन, श्रम विभाग पंजीकरण, पेन कार्ड, सिविल कार्य हेतु पिछले तीन साल में पंजीकरण श्रेणी A, B, C के अनुसार कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. ठेकेदार को नियमानुसार देय जी०एस०टी०, आयकर स्टैम्प ड्यूटी, रॉयल्टी, एवं श्रमिक उपकर देना होगा। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टैम्प ड्यूटी तथा जमानत की अवशेष धनराशि जमा करनी होगी।
16. ज्वाइंच बैचर की ई-निविदा किसी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।
17. कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटायी/बढ़ायी जा सकती है। जिसके लिये ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
18. ई-निविदादाता द्वारा ई-निविदा डालते समय ई-निविदा की पूर्ण जानकारी अथवा अन्य किसी कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण ई-निविदा न पडने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
19. कोई भी ई-निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
20. आपराधिक रिकॉर्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। (शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य)
21. ऐसा निविदादाता जिनका कोई सगा सम्बन्धी जोकि परियोजना अधिकारी, अवर अभियन्ता एवं विभाग में कार्यरत कर्मचारी के पद पर आसीन होंगे को कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निविदादाता को निविदा प्रपत्र पर अपने फर्म की श्रेणी व प्रोपराइटर का स्पष्ट नाम, हस्ताक्षर, मोबाइल नम्बर उल्लेख करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र पर किसी भी प्रकार की कटिंग एवं संशोधन मान्य नहीं होगा। यदि किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि निविदा प्रपत्र पायी गयी तो उसका समस्त उत्तरदायित्व का निविदादाता का होगा।
22. निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न करने की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को ब्लैक लिस्ट करने पर विचार किया जायेगा।
23. राज्य वार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता ई-निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।
24. ठेकेदार इच्छुक निविदा हेतु साइट का अवलोकन निविदा डालने से पूर्व कर लें। यदि भविष्य में साइट पर विवाद/साइट निर्माण करने योग्य नहीं है। किसी विभाग अथवा संस्था द्वारा निर्माण कार्य करा दिया है तो उस कार्य का अनुबन्ध नहीं किया जायेगा एवं निविदा निरस्त समझी जायेगी।
25. विशिष्ट परिस्थितियों में ई-निविदा खोलने की तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना नोटिस बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध करा दी जायेगी।
26. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर पर उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त किया जायेगा।
27. अंतिम भुगतान द्वितीय किश्त शासन से अवमुक्त होने के बाद ही किया जायेगा। जिला स्तर पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
28. किसी भी अथवा समस्त ई-निविदाओं को कारण बताये पूर्ण एवं आंशिक रूप से निरस्त करने एवं स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा हाथरस में निहित होगा।

प्रभारी अधिकारी कंसर्वेट्र/परियोजना अधिकारी

डूडा हाथरस।

परियोजना अधिकारी

जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-हाथरस

अपर जिम्नाधिकारी(न्यायिक)/परियोजना निदेशक  
डूडा हाथरस